

स्वावलम्बन के साथ अब हम भी रिटायर हो सकते हैं।

स्वावलम्बन | nps

स्वावलम्बन की विशेषताएं

- भारत सरकार की वृद्धावस्था में पेंशन उपलब्ध कराने की योजना।
- 18 से 60 वर्ष के प्रत्येक नागरिक एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
- सुविधा के अनुसार प्रति वर्ष रु. 1,000 से रु. 12,000 तक जमा करें।
- भारत सरकार से रु. 1,000 प्रति वर्ष अनुदान पाएं।

रिटायर होना हर इन्सान का हक है। स्वावलम्बन में हर महीने सिर्फ 100 रुपए निवेश करके आप भी साठ के बाद आराम से जी सकते हैं। आज ही अपना प्रान कार्ड बनवायें। अधिक जानकारी के लिए 1800110708 पर सम्पर्क करें।



अपने निकटतम संग्राहक से संपर्क करें :

• अभीप्रा कैपिटल लिमिटेड • अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड • बंधन फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड • बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड राजस्थान • सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑरिएंटेशन एण्ड ट्रेनिंग (सीडीओ) • इसाफ माइक्रोफाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड • फाइनेंसियल इनक्लूजन नेटवर्क एण्ड ऑपरेशन्स लिमिटेड • आईएफएमआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड • इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड • झारखण्ड बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड रांची • कर्नाटका स्टेट अन-ऑरगेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बंगलौर • एलआईसी हाउसिंग फाइनंस लिमिटेड • भारतीय जीवन बीमा निगम • मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड • केसपर माइक्रो क्रेडिट • ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स • पंजाब नेशनल बैंक • समहिता कम्प्यूनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज • सप्तक्रिषी कन्सलटेन्सी सर्विसेज लिमिटेड • श्रेई सहज-इ-विलेज लिमिटेड • द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड • विजया बैंक